

अता- 1946

[19/2/2024]

प्रश्न सं. [क. 1946]

परिशिष्ट-1

क्र.	विवरण	कार्यवाही
1	अतिथि शिक्षकों को महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी।	स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र.2032 / 1226 / 2022 / 20-2, दिनांक 29.09.2023 के द्वारा पालन किया जा चुका है।
2	वर्ग-1 में 9 हजार की जगह 18 हजार मिलेगा मानदेय, वर्ग-2 में 7 हजार की जगह 14 हजार मिलेगा मानदेय, वर्ग-3 में 5 हजार की जगह 10 हजार मिलेगा मानदेय।	स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र.2032 / 1226 / 2022 / 20-2, दिनांक 29.09.2023 के द्वारा पालन किया जा चुका है।
3	अतिथि शिक्षकों का अनुबंध पूरे 1 साल का होगा।	कार्यवाही प्रचलन में है।
4	शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।	कार्यवाही प्रचलन में है।
5	उच्च शिक्षा विभाग की भांति अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 4 एवं अधिकतम 20 अंक अनुभव के प्रदान किये जाएंगे।	कार्यवाही प्रचलन में है।
6	महीने की निश्चित तारीख को मानदेय मिलने की व्यवस्था की जायेगी।	स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश एफ क्र. -44-13 / 2018 / 20-2, दिनांक 03.10.2018 में प्रति कालखण्ड मान से मानदेय भुगतान के निर्देश थे। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2032 / 1226 / 2022 / 20-2, दिनांक 29.09.2023 द्वारा मासिक भुगतान का प्रावधान कर दिया गया है।
7	पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जायेगी।	कार्यवाही प्रचलन में है।

संचालक

लोक शिक्षण म.प्र.

अनुभाग-अधिका
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1)
मंत्रालय, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

::आदेशः

भोपाल, दिनांक 29/09/2023

क्रमांक 2032 / 1226 / 2022 / 20-2::विभागीय आदेश क. एफ 44-13 / 2018 / 20-2, दिनांक 03.10.2018 द्वारा अतिथि शिक्षकों हेतु मानदेय निर्धारित किया गया था।


2/ मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 3 दिनांक 09 सितम्बर 2023 में पारित निर्णय के परिपालन में राज्य शासन एतद्वारा उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से अपास्त करते हुए अतिथि शिक्षकों को प्राप्त मानदेय में वृद्धि कर निम्नानुसार मासिक मानदेय निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

क0	अतिथि शिक्षक श्रेणी	निर्धारित मासिक मानदेय
1	2	3
1.	अतिथि शिक्षक वर्ग-1	18,000/-
2.	अतिथि शिक्षक वर्ग-2	14,000/-
3.	अतिथि शिक्षक वर्ग-3	10,000/-

3/ उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


29/9/2023
(प्रमोद सिंह)

उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


भोपाल, दिनांक 29/09/2023

पृ0 क्रमांक 2033 / 1226 / 2022 / 20-2


प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल

निरंतर..2..


अनुभाग-अधिक
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल

5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
6. आयुक्त, लोक शिक्षण/आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
10. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. आर्डर बुक




29/9/2023

उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

::आरती दुबे::


सकल विभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शासना-1)
मंत्रालय, भोपाल